

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

SDO

मुकाम

COH

पदीप मदानिमा

बनाम

AVNL

किस्म मुकद्दमा

श. पत्र

नं.

35

सन्

2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/04/25	<p>पत्रावली पेश हुई। आखिरका उमम पत्र उप.। पी.डी.कार सलाह उप.। आखिरका उतिवाली (क) में जवाब डा.पत्र परलुत किया शामिल मिला हो। बहल डा.पत्र 212 RTI पर खुली गई। आखिरका डा.पी.गण ने डा.पत्र में वागित तथ्यो हो दोहराने हुए डा.पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण से जलिल अस्थाई निदेखाना से जाबन्त करने का निवेदन किया। बलते विपरित आखिरका विपक्षी ने डा.पी.गण पर डा. खण्डन करने हुए जवाब डा.पत्र में वागित तथ्यो से दोहराने हुए डा.पी.गण डा.पत्र खालीप करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली डा. आसोपान्त अवलोकन व अवलोकन कर आखिरका उमम पत्रकारान की बहल पर खिन्तन व मतन किया।</p>	

(वीनू देवल)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपमुख्य अधिकारी  
 प्रितोपाड (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहमदाबाद हुक्म की में जारी है
	<p>           पत्रावली के अवलोकन से यह विदित हुआ है कि पत्रावली में पंजीत आराजियात से राजस्थान सरकार के जोसेफर मात जनता डे गवर्नर जी बिजली उपकरण इत्यादि के उद्देश्य से सूचाल रूप ले पाए हैं। उक्त जोसेफर डे सुझाने के उद्देश्य से जारी ने यह प्रा.पत्र पेश किया है। अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होगा कि सुविधा का सम्बन्ध प्राचीनता के पक्ष में न होकर विपरीतता के पक्ष में होने से प्राचीनता का प्रा.पत्र कबिता प्रोग्राम नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली मूल रूप 19125 के साथ लक्षण है। पत्रावली के मूल अंशों को नकार से उक्त हो।         </p>	

  
 (नील कुमार)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपस्थित अधिकारी  
 विभागाध्यक्ष (राज.)